



कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव जिला-कोंडागांव (छ.ग.)



Tel / Fax 07786-242303



E-mail: southfedkon@vsnl.co

क्रमांक/मा.चि./127

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला कोंडागांव (छ.ग.)

कोंडागांव, दिनांक : 14/11/2019

विषय:- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jawahar Navodaya Vidyalaya area - 5.00 ha. - regardig.

- आनलाईन पंजीयन क्रमांक FP/CG/SCH/32242/2018.

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर-9, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-734/4290, दिनांक 26/12/2018.

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो आपको भी पृष्ठांकित किया गया है। प्रकरण में जवाहर नवोदय विद्यालय हेतु प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी-794 में से 5.00 हेक्टेयर के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यार्तन प्रस्ताव को भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के वेबसाइट पर आनलाईन अपलोड कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./1747, दिनांक 30/10/2018 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के माध्यम से अ.प्र.मु. सं. (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर को प्रेषित किया गया था। उक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यार्तन प्रस्ताव मूलतः 4 प्रतियों में वापस करते हुये प्रकरण में पाये गये कमियों के बिन्दुवार पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। आप उक्त निर्देशानुसार प्रकरण में पाये गये कमियों की पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करें, ताकि वरिष्ठ कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जा सकें। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव मूलतः 5 प्रतियों में संलग्न है।

संलग्न : प्रस्ताव मूलतः 05 प्रतियों में।

पृ.क्रमांक/मा.चि./128...

प्रतिलिपि :

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अरण्य भवन, सेक्टर-9, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर संदर्भित पत्र के परिपालन में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।
02. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।
03. कलेक्टर, कोंडागांव, जिला-कोंडागांव (छ.ग.) को ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। संलग्न :- उपरोक्तानुसार।
04. उपवनमंडलाधिकारी, पूर्व कोंडागांव उपवनमंडल की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है। संलग्न :- उपरोक्तानुसार।
05. वन परिक्षेत्र अधिकारी, दक्षिण कोंडागांव परिक्षेत्र की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है। आप प्रकरण में पाये गये कमियों के बिन्दु क्रमांक-1 में दिये गये निर्देशानुसार परियोजना हेतु प्रस्तावित स्थल में स्थित 1200 वृक्षों में से कितने वृक्षों का विदोहन किया जाना है, इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुये विस्तृत प्रतिवेदन शीघ्र प्रेषित करें। संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
कोंडागांव

कोंडागांव, दिनांक 14/11/2019

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
कोंडागांव